वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में विभिन्न शक्तियों का विवरण

Annexture 3-WL

क्र.स.	विवरण	शक्तियों के लिए अधिकृत अधिकारी
1–	वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की अनुसुची I, II, III, IV का वन्य जीव जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐंसा नि:शक्त या रोगी है कि ठीक नहीं हो सकता है । तो वह लिखित आदेश द्वारा ओर उसके लिए कारण दर्शाते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे जीव जन्तु का आखेट करने या उसके आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी ।
2–	विशेष प्रयोंजनो के लिए अनुज्ञा पत्र का अनुदान । (क) शिक्षा (ख) वैज्ञानिक अनुसंधान या (ग) वैज्ञानिकी प्रबंधन	राज्य सरकार / भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ।
3–	अनुज्ञा पत्र का दिया जाना । (क) वन्य प्राणियों के अन्वेषण या अध्ययन और उसके आनुषंगिक प्रयोजन ।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी ।
	(ख) फोटो चित्रण ।	आवश्यकता होने पर राज्य सरकार से पुर्व अनुमति प्राप्त कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
	(घ) पर्यटन	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी
	(ड) अभयारण्य में रह रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार करना।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी
4–	वन्य जीव जन्तुओं वस्तुओं तथा ट्राफियों के लिय स्वामित्व प्रमाण पत्र देना	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
5–	संरक्षत क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, भवन, फेन्सिग एवं बेरियर गेट का निर्माण।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक

6–	धारा 54 के अन्तर्गत वन्यवजीव अपराधों को कम्पाउण्ड करना।	मुख्य वन्यजीव, प्रतिपालक मंडल वन अधिकारी, उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अपने अधिकार क्षेत्र में
7–	धारा 55 के अन्तर्गत अपराधों का संज्ञान।	वन्यजीव प्रतिपालक, क्षेत्रीय वन अधिकारी।
8–	अनुसूचित जीव जन्तुओं से व्युत्पन्न ट्राफियों जीव जन्तुओं–वस्तुओं आदि में व्योहार का प्रतिषेध	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी
9–	संरक्षित क्षेत्रों की परिधि से 10 किलोमीटर में आग्नेय अस्त्रों का पंजीकरण।	उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/उप वन संरक्षक
10–	स्टेटबोर्ड फॉर वाईल्ड लाईफ का सदस्य सचिव।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक